P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VIII **Paper Name-Income Tax Act** **Unit -3**

Q1 निम्न कटौतियों के प्रावधानों का वर्णन कीजिये-

(a) धारा 80-U के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति की स्थिति में कटौती

(b) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के धारा 80-D के अंतर्गत कटौती

(c) दीर्घकालिक अवसंरचना बंधानपत्रों के अभिदान के सम्बन्ध में धारा 80 ग ग च के अंतर्गत कटौती।

Ans (a) शारीरिक रूप से अयोग्य किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कटौती (Deductions in respect of a person with disability) (धारा 80-U) – यह कटौती भारत में निवासी एक ऐसे व्यक्ति करदाताओं को उनकी कुल आय की गणना करते समय दी जाती है जो किसी शारीरिक असमर्थता से पीड़ित हैं तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने उन्हें असमर्थता प्रमाण पत्र दिया है। इस कटौती के लिये असमर्थतायुक्त व्यक्ति को अपनी आय विवरणी के साथ यह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस धारा के अन्तर्गत कटौती की राशि पचास हजार रुपये होगी। यदि करदाता गम्भीर रूप से असमर्थ है तो कटौती की राशि एक लाख रुपये होगी।

इस धारा के प्रयोजनार्थ

"असमर्थतायुक्त व्यक्ति" (Person with disability) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी एक असमर्थता से कम-से-कम चालीस प्रतिशत ग्रसित हो जिसे चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाणित कर दिया है।

“अत्यधिक असमर्थतायुक्त व्यक्ति" (Person with severe disability) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो एक या दो असमर्थताओं से अस्सी प्रतिशत से अधिक ग्रस्त है जिसे चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाणित कर दिया है।

"असमर्थता" (Disability) से तात्पर्य है— अन्धापन (Blindness), कम दृष्टि (Low vision), कोढ़ अभिसाधित (Leprosy-curved), श्रवण शक्ति की क्षति (Hearing impair ment), चलने में असमर्थता (Locomotor Disability), मानसिक पिछड़ापन (Mental retardation), मानसिक बीमारी (Mental illness), आत्मविमोह (Austism), दिमागी पक्षाघात (Cerebral palsy), बहुल असमर्थताएँ (Multiple disabilities)।

(b) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of Medical Insurance Premium) (धारा 80D) – यह कटौती एक व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को मिलेगी। यदि करदाता ने अपने स्वयं के अपने जीवनसाथी के अपने माता-पिता (चाहे वे आश्रित हों या नहीं) के स्वास्थ्य एवं करदाता

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा कराने पर प्रीमियम का भुगतान किया हो तथा उसने केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना में अंशदान किया हो तो उसे धारा 80D की इस कटौती में शामिल किया जायेगा। यदि हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा कराने के सम्बन्ध में कोई भुगतान किया गया है तो इसे भी इस धारा की कटौती प्रदान की जायेगी। इस कटौती को प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें निम्न लिखित हैं---

(i) प्रीमियम का भुगतान नकद के अतिरिक्त किसी भी माध्यम (चेक या ड्राफ्ट) से किया जाना चाहिए।

(ii) स्वास्थ्य बीमा योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

(iii) प्रीमियम का भुगतान सामान्य बीमा निगम या अन्य बीमाकर्ता को किया गया हो। अन्य बीमाकर्ता बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(iv) मेडिक्लेम बीमा का भुगतान निर्धारित सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी स्वास्थ्य योजना या निवारक स्वास्थ्य जाँच के लिये किया जा सकता है।

(v) बीमा प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए। कर-निर्धारण वर्ष 2009-2010 से एक व्यक्ति करदाता की अधिकतम कटौती की राशि निम्नलिखित होगी-

(i) यदि करदाता स्वयं के अपने जीवनसाथी एवं आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकता है तो कटौती की अधिकतम राशि पन्द्रह हजार रुपये अथवा वास्न विक प्रीमियम की राशि (दोनों में से जो भी कम हो) होगी।

(ii) माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम चुकाने पर अतिरिक्त कटौती की राशि पन्द्रह हजार रुपये होगी।

(iii) यदि करदाता के माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो कटौती की अतिरिक्त अधिकतम राशि बीस हजार रुपये तक होगी।

संयुक्त हिन्दू परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में चुकाई गयी प्रीमियम की राशि अथवा पन्द्रह हजार रुपये (दोनों में से जो भी कम हो) की कटौती प्रदान की जायेगी। यदि स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम किसी वरिष्ठ नागरिक सदस्य के सम्बन्ध में चुकाया जाता है तो अधिकतम राशि बीस हजार रुपये होगी।.

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

कर निर्धारण वर्ष 2013-2014 से धारा 80D स्वास्थ्य की निवारक या रोकथाम जाँच पड़ताल (Preventive Health Check-up) के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसके प्रमुख विन्दु निम्नलिखित हैं

(i) स्वास्थ्य की रोकथाम एवं जाँच-पड़ताल के व्यय स्वयं करदाता के, पत्नी या पति के, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हो सकते हैं।

(ii) स्वास्थ्य की रोकथाम एवं जाँच-पड़ताल पर किये गए व्यय उपरोक्त (i) में उल्लखित

सभी के सम्बन्ध में कुल मिलाकर अधिकतम राशि पाँच हजार रुपये स्वीकृत होगी।

(iii) जाँच-पड़ताल पर किये गए व्ययों की धनराशि को धारा 80D की कटौती की राशि पन्द्रह हजार रुपये/बीस हजार रुपये में सम्मिलित किया जायेगा।

(iv) जाँच-पड़ताल पर किये गए व्ययों का भुगतान नकद, चेक ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड आ किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

(c) दीर्घकालीन आधारभूत बॉण्डों में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of subscription to long term infrastructure bonds) (धारा 80CCF) – एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार को गत वर्ष में अधिसूचित दीर्घकालीन आधारभूत बाण्डों में विनियोजित करने पर इस धारा के अन्तर्गत अधिकतम बीस हजार रुपये तक की कटौती कर निर्धारण वर्ष 2011-2012 एवं 2012-2013 के लिये ही प्रदान की गयी थी। कर-निर्धारण वर्ष 2013-2014 से यह धारा समाप्त कर दी गयी है।

Q2 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (c) के अंर्तगत निर्धारिती को क्या लाभ अनुमान्य है?

Ans **विनियोग एवं जमा आदि कटौती योग्य राशि में भुगतान के आधार पर सम्मिलित किये जाते हैं (Investment and deposits etc. are included in qualifying amount on payment basis)**—इस धारा के अन्तर्गत कटौती के लिये गणना की गयी 'कटौती योग्य राशि' में सम्मिलित किये जाने वाले विनियोग, अंशदान अथवा जमाओं आदि को तभी सम्मिलित किया जायेगा जबकि इनका भुगतान वास्तव में हो चुका हो। उपरोक्त सभी मदों पर गत वर्ष में वास्तव में व्यय / भुगतान की गई राशि को ही कटौती योग्य राशि में जोड़ा जायेगा भले ही भुगतान की गई। राशि गत वर्ष से सम्बन्धित हो अथवा गत वर्ष से पूर्व के अथवा गत वर्ष के बाद वाले वर्ष से सम्बन्धित हो ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(**2) जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium**)– जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं

(i) करदाता, उसकी पत्नी या पति अथवा उसके बच्चों (वयस्क या अवयस्क, आश्रित या अनाश्रित, विवाहित या अविवाहित लड़का या लड़की) के जीवन पर देय प्रीमियम पर यह छूट मिलती है, किन्तु प्रीमियम की राशि बीमित राशि से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, यदि पॉलिसी दिनांक 1-4-2012 को या इसके बाद जारी की गयी है। कर निर्धारण वर्ष 2014-2015 से यदि जीवन बीमा पॉलिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो धारा 80U में उल्लखित असमर्थता अथवा धारा 80DDB के है अधीन बनाये गए नियमों में वर्णित विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित तथा यह पॉलिसी दिनांक 31-3-2013 के बाद ली गई है तो बीमित राशि का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत प्रीमियम की कटौती प्रदान की जायेगी। यदि करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार है तो उसके किसी भी सदस्य के जीवन बीमा प्रीमियम की राशि कटौती के रूप में स्वीकार की जायेगी।

(ii) यदि करदाता दो वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पूर्व ही पॉलिसी को समाप्त कर देता है तो जिस वर्ष पॉलिसी समाप्त की गई है उस वर्ष के प्रीमियम को धारा 80C की यह छूट नहीं मिलेगी तो पूर्व वर्षों के प्रीमियम के सम्बन्ध में करदाता की जो आयकर में कटौती मिल चुकी है उस राशि को करदाता के उस गत वर्ष के कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिस वर्ष पॉलिसी समाप्त हुई है।

(iii) संयुक्त बीमा पॉलिसी की दशा में यह कटौती उसी व्यक्ति को मिलेगी जो प्रीमियम का भुगतान करता है। संयुक्त बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को इस धारा के अन्तर्गत कटौती तभी मिलेगी जबकि यह पॉलिसी करदाता एवं उसके जीवनसाथी अथवा करदाता एवं उसके बच्चों अथवा करदाता के जीवनसाथी एवं उसके बच्चों के संयुक्त जीवन पर कराई गयी है।

(3) यूनिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान के अन्तर्गत अंशदान (Contribution under the Unit Linked Insurance Plan) यदि करदाता यूनिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान के अन्तर्गत दिये जाने वाले अंशदान को पाँच वर्ष से पूर्व बन्द कर देता है तो जिस गत वर्ष में अंशदान बन्द किया गया है उस गत वर्ष में किये जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी तथा इससे पूर्व के वर्षों में किये गए समस्त अंशदानों पर प्राप्त आयकर की कटौती को करदाता के उस गत वर्ष के कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिस गत वर्ष में इसमें अंशदान किया गया है।

(**4) केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित प्रतिभूतियों में अंशदान (Contribution on securities notified by Central Government)-**केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बचत पत्र आठवें निर्गम को विभिन्न अधिसूचनाओं

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

द्वारा अधिसूचित किया है। इनमें किया गया अंशदान धारा 80C की कटौती के लिये सकल राशि में सम्मिलित किया जाता है। इनमें किये गए विनियोग एवं इन पर अर्जित ब्याज के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नलिखित हैं-

(i) यदि राष्ट्रीय बचत पत्र जीवनसाथी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम खरीदे गए हैं तो भुगतान करने वाले को ही यह कटौती मिलेगी।

(ii) यदि राष्ट्रीय बचत पत्र संयुक्त नाम से खरीदे गए हैं तो यह कटौती उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने अपनी कर योग्य आय में से इन बचत पत्रों को खरीदा है।

(iii) यदि राष्ट्रीय बचत पत्रों को हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी सदस्य के नाम खरीदा जाता है तथा बचत पत्रों का लाभदायी स्वामित्व हिन्दू अविभाजित परिवार का रहता है तो धारा 80C की कटौती प्राप्त करने का अधिकार परिवार ही होगा।

(iv) यदि अष्टम निर्गम वाले बचत पत्रों को खरीदा जाता है तो इन बचत पत्रों पर प्रति वर्ष अर्जित ब्याज को पुनः विनियोजित किया जाता है। अतः प्रति वर्ष के अर्जित ब्याज को करदाता की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की आय में जोड़ दिया जाता है किन्तु साथ ही ब्याज की राशि को पुनः विनियोग मानने के कारण धारा 80C की कटौती मिलेगी। यह कटौती पाँच वर्ष के अन्त तक मिलेगी क्योंकि ये बचत-पत्र छः वर्षीय होते हैं। छठवें वर्ष के अन्त में इनकी पूरी राशि जमा होती है इस कारण छठवें वर्ष के ब्याज को पुनः विनियोजित नहीं माना जाता है।

(5) नये आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण पर व्यय की गयी राशि (Amount expen ded on purchase or construction of new residential fhouse)– यदि एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार ने अपनी कर योग्य आय में से ऐसे मकान के क्रय पर अथवा निर्माण पर किया है जिसकी आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य है तो ऐसे व्यय को पास SOCC के अन्तर्गत कटौती प्रदान की जायेगी। इन व्ययों में निम्नलिखित भुगतान सम्मि लित हैं.

(i) स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत क्रय किये गए मकानों की दशा में उनकी किश्त का भुगतान जो विकास प्राधिकरण, गृह निर्माण कार्यों में संलग्न किसी अन्य अधिकारी को देश हों;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ii) गृह निर्माण कार्यों में संलग्न किसी कम्पनी या सहकारी समिति से स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत क्रय किये गए मकान के लिये देय किश्त की राशि वशर्ते करदाता उस कम्पनी या सहकारी समिति का सदस्य हो;

(iii) निम्न में से प्राप्त ऋण की वापसी की राशि (अ) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार;

(ब) बैंक (सहकारी बैंक सहित);

(स) जीवन बीमा निगम:

(द) राष्ट्रीय आवासीय बैंक;

(य) भारत में आवासीय मकानों के क्रय एवं निर्माण के लिये दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करने वाली कोई ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी जो धारा 36 (1)(viii) के अन्तर्गत कटौती के लिये योग्य हो;
(र) जनता का सारवान् हित रखने वाली कोई कम्पनी या मकानों के निर्माण हेतु ऋण देने के कार्य में संलग्न कोई सहकारी समिति;

(ल) करदाता का नियोक्ता, यदि नियोक्ता एक प्राधिकारी या एक बोर्ड या एक निगम अथवा अन्य कोई निकाय है जिसकी स्थापना या संरचना किसी केन्द्रीय अथवा राज्यीय अधिनियम के अन्तर्गत हुई है;

(व) करदाता का नियोक्ता, यदि नियोक्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या स्थानीय सत्ता हो;

(iv) मकानों के क्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य व्यय; परन्तु इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित भुगतानों को कटौती नहीं मिलेगी

(a) कम्पनी या सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये दी जाने वाली प्रारम्भिक जमा राशि अथवा कम किये गए अंशों की लागत;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(b) मकान के निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद अथवा मकान पर करदाता अथवा उसकी ओर से किसी किरायेदार द्वारा प्रयोग करना शुरू करने के बाद, उस मकान-सम्पत्ति में किये गए सुधार एवं नवीनीकरण की लागत;

(c) कोई भी अन्य व्यय जिसको 'मकान-सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कटौती प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि यदि मकान के क्रय या निर्माण के सम्बन्ध में धारा 80C के अन्तर्गत कटौती मिल चुकी कोई राशि करदाता को वापस मिल जाती है तो वापसी राशि पर करदाता को जितने आयकर की छूट मिल चुकी थी उतनी राशि से वापसी वाले वर्ष का करदाता का कर दायित्व बढ़ा दिया जायेगा। यदि करदाता धारा 80C की कटौती प्राप्त कर लेने के बाद कब्जा प्राप्त करने वाले वर्ष के बाद पाँच वर्ष के अन्दर उस मकान का विक्रय कर देता है या हस्तान्तरित कर देता है तो उस गत वर्ष में इस मकान के सम्बन्ध में किये गए भुगतान पर धारा 80C की कटौती नहीं दी जायेगी तथा इस मकान पर अब तक स्वीकृत कटौती की राशि से करदाता की उस गत वर्ष की कर योग्य आय बढ़ जायेगी जिस वर्ष यह मकान बेचा या हस्तान्तरित किया है। यह आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी। यदि कोई राशि किसी कोष में जमा की गयी है तो उस पर इस धारा की कटौती नहीं मिलेगी।

निम्नलिखित भुगतानों/अंशदानों के सम्बन्ध में एक हिन्दू अविभाजित परिवार को धारा 80C की कटौती नहीं मिलेगी (No deduction will be allowed under Section 80C to a Hindu undivided family on following payments/contribution) — एक हिन्दू अवि भाजित परिवार को धारा 80C के अन्तर्गत निम्नलिखित भुगतानों/अंशदानों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी

(i) स्थगित वार्षिकी के अनुबन्ध के लिये भुगतान;

(ii) सरकारी कर्मचारी के वेतन से स्थगित वार्षिकी के लिये काटी गयी राशि;

(iii) पन्द्रह वर्षीय सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान;

(iv) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान;

(v) सहयोगी कोष (Mutual Fund) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किसी अधिसूचित कोष में अंशदान;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(vi) भारत में आवासीय मकानों के क्रय/निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की अधिसूचित जमा योजना में अंशदान;

(vii) भारत में शहरों, कस्बों या गाँवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्यों हेतु भारत में स्थापित आवास बोर्ड की अधिसूचित जमा योजना में अंशदान;

(viii) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम में अंशदान।

Q3 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (c) में हानियों की पूर्ति एवम उनको आगे ले जाने से सम्बंधित उपबंधों का वर्णन कीजिये |

Ans हानियों को आगे ले जाने से अभिप्राय (Meaning of carry forward of Losses)- हानियों को आगे ले जाने का तात्पर्य है कि जिस वर्ष की हानि हो उसी वर्ष यदि उसकी पूर्ति करदाता की किसी अन्य आय से न हो सके तो ऐसी हानि को आगे ले जाकर भविष्य में होने वाले लाभ इसकी पूर्ति की जा सकती है, बशर्ते कि करदाता ने निर्धारित अवधि में आय का विवरण दाखिल करके हानि का निर्धारण करा लिया हो, परन्तु सभी हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता। कुछ हानियाँ ऐसी होती हैं कि यदि उनकी पूर्ति उसी वर्ष में नहीं हो पाती हैं जिस वर्ष में हानियाँ होती हैं, तो उनकी पूर्ति आगे ले जाकर नहीं की जा सकती है। हानियों को आगे ले जाकर भविष्य में होने वाले लाभ से हानियों की पूर्ति करने की इस प्रक्रिया को 'हानि को आगे ले जाना एवं उनकी पूर्ति करना' कहा जाता है।

हानियों को आगे ले जाने एवं उनकी पूर्ति भविष्य में किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु काफी महत्वपूर्ण हैं

1. केवल निम्नलिखित हानियों को ही आगे ले जाया जा सकता है तथा हैं आने वाले वर्षों में

होने वाले लाभों से उनकी पूर्ति की जा सकती है

(i) मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानियाँ,

(ii) 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानियाँ;

(iii) सट्टे के व्यापार से होने वाली हानियाँ,

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iv) दीर्घकालीन पूँजी हानियाँ;

(v) अल्पकालीन पूँजी हानियाँ,

(vi) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख-रखाव से होने वाली हानियाँ ।

उपरोक्त शीर्षकों के अलावा अन्य किसी शीर्षक में होने वाली हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है और न ही भविष्य में होने वाले लाभों से उसकी पूर्ति ही की जा सकती है।

2. केवल वही करदाता हानियों को आगे ले जाने का हकदार होता है जिसे कि ऐसी हानि होती है। कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यापार का उत्तराधिकारी हानि को आगे नहीं ले जा सकता है, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यापार का उत्तराधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी हानियों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ व्यापार से होने वाली हानि को आगे ले जा सकते हैं—

(i) यदि व्यापार का उत्तराधिकार विरासत के आधार पर हैं;

(ii) जबकि अनन्य स्वामित्व वाले किसी व्यापार (एकाकी व्यापार) को एक सह भागीदारी फर्म में संपरिवर्तित कर लिया जाता है तथा वह अनन्य स्वामी फर्म में एक सहभागीदार हो जाता है;

(iii) यदि हानि एक समामेलित कम्पनी का हो;

(iv) किसी सहभागीदारी फर्म की हानि ।

हानियों आगे ले जाकर पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान (Provisions relating to carry forward and set off of losses) – किसी व्यापार की हानियों को आगे ले जाकर उसकी पूर्ति आने वाले वर्षों के लाभों से किये जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं—

(1) मकान सम्पत्ति से हानि (Losses from house property) — आयकर अधिनियम की धारा 71-B के अनुसार, यदि 'मकान सम्पत्ति की आय' गत वर्ष अथवा इसके पूर्व के गत वर्षों की हानि आगे ले जाकर पूरी नहीं की जा सकती या यदि हानि न वसूल किये किराये के कारण है, तो ऐसी अपूरित हानि आगे ले

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

जाकर मकान सम्पत्ति की आय से पूरी की जा सकती है। यदि मकान सम्पत्ति की अपूरित हानि गत वर्ष अथवा इसके बाद आने वाले गतवर्षों से सम्बन्धित है, तो इसे अगले वर्ष में मकान सम्पत्ति की आय से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार यह हानि जिस वर्ष में हुई थी उससे अधिक-से-अधिक आठ वर्षों तक पूर्ति के लिये आगे ले जायी जा सकती है।

(2) सामान्य व्यापार (गैर-सट्टा व्यापार) से हानि (Losses of general business) -- आयकर अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, यदि किसी करदाता को किसी सामान्य व्यापार अथवा पेशे से ऐसी हानि होती है, जिसकी पूर्ति अन्य सामान्य व्यापार अथवा पेशों के लाभों या अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय से नहीं की जा सकती है, तो ऐसी अपूरित हानियों को आगे ले जाया जा सकता है तथा उसकी पूर्ति अगले वर्ष या वर्षों के व्यापार अथवा पेशे की आय' से की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं

(i) ऐसी अपूरित हानियों की पूर्ति करदाता द्वारा चलाये जाने वाले किसी व्यापार अथवा पेशे के लाभों से, यदि कोई हो, की जा सकती है। ऐसा व्यापार अथवा पेशा चाहे सट्टा व्यापार हो अथवा गैर-सट्टा व्यापार।

(ii) ऐसी अपूरित हानि की पूर्ति एक ऐसी आय से भी की जा सकती है, जोकि किसी व्यापारिक क्रिया-कलाप से उत्पन्न होती है, परन्तु उस पर 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर नहीं लगता हो। उदाहरणार्थ, यदि कोई करदाता मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाने का व्यापार कर रहा है, उसके किराये का मूल्य यद्यपि 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है, तो किराये की आय व्यापारिक क्रिया-कलाप की आय मानी जायेगी तथा आगे ले जायी गई हानि की पूर्ति इस किराये की आय से की जा सकती है।

(iii) ये हानियाँ जिस वर्ष में हुई हैं उससे अधिक से अधिक अगले आठ वर्षों तक पूर्ति के

लिये आगे ले जायी जा सकती हैं।

(iv) वह व्यापार जो प्रकृति अथवा अन्य प्रकोपों से भारी क्षति हो जाने के कारण बन्द कर दिये गये हों और व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के बाद तीन वर्ष के अन्दर पुनर्गठित करके पुनः स्थापित अथवा पुनः प्रारम्भ कर दिये जायें, तो हानियाँ आगे ले जाने के लिये व्यापार का बन्द होना नहीं माना जायेगा। व्यापार बन्द होने वाले वर्ष की हानि की पूर्ति व्यापार पुनः स्थापित होने वाले वर्ष के लाभ से की जा

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सकती है। यदि इन हानियों की इस वर्ष में व्यापार शीर्षक की आय से पूर्णतया पूर्ति न हो सके तो शेष न पूरी हुई हानि को, व्यापार को पुनः स्थापित अथवा पुनर्गठन अथवा पुनः प्रारम्भ करने वाले वर्ष के अगले सात कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि यह व्यापार करदाता द्वारा ही चलाया जा रहा हो

(v) आयकर अधिनियम की धारा 35AD में सन्दर्भित किसी विशिष्ट व्यापार की आगे लायी गई हानि को आगामी वर्षों में किसी भी अन्य विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूरित किया जा सकता है।

(3) एकीकरण के कतिपय मामलों में संचित हानि तथा अशोधित ह्रास (Accumulated ioss and unabsorbed depreciation in certain amalgamation)--आयकर अधिनियम की धारा 72-A के अनुसार यदि किसी कम्पनी का किसी अन्य कम्पनी से एकीकरण होता है, तो एकीकरण होने वाली कम्पनी, जो किसी औद्योगिक उद्यम अथवा जहाज की स्वामी है, की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास एकीकरण करने वाली कम्पनी की उस गत वर्ष की हानि या ह्रास मानी जायेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण हुआ है। एकीकृत कम्पनी को एकीकरण होने वाली कम्पनी की हानियों तथा ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो ये हानियाँ तथा ह्रास एकीकृत कम्पनी के स्वयं के हों।

परन्तु उपरोक्त सुविधाएँ केवल तभी दी जा सकती हैं, जबकि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होती हों

(i) (a) एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज या एक होटल के स्वामित्व वाली कम्पनी का किसी दूसरी कम्पनी के साथ; अथवा

(b) एक बैंकिंग कम्पनी का किसी विशिष्ट बैंक के साथ; अथवा

(c) एक या अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या कम्पनियाँ जो हवाई जहाज के संचालन के व्यापार में संलग्न हैं, का किसी ऐसे ही व्यापार में संलग्न दूसरी कम्पनी या कम्पनियों के साथ एकीकरण किया गया है।

(ii) एकीकरण होने वाली कम्पनी किसी औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज या एक होटल

की स्वामी है या किसी बैंक या विशिष्ट बैंक के साथ एकीकरण हुआ है;

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iii) एकीकरण होने वाली कम्पनी उस व्यापार में संलग्न है जिसमें विगत तीन या अधिक वर्षों से एकत्रित हानियाँ हुई अथवा ह्रास की राशि अशोधित हुई;

(iv) एकीकरण होने वाली कम्पनी के पास एकीकरण होने की तिथि को उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण सम्पत्तियों के पुस्तकीय मूल्य की तीन-चौथाई सम्पत्तियाँ एकीकरण होने की तिथि से कम-से-कम दो वर्ष पूर्व से धारित रही हैं;

(v) एकीकरण में प्राप्त सम्पत्तियों में से कम-से-कम तीन-चौथाई मूल्य की सम्पत्तियाँ एकीकृत कम्पनी के पास एकीकरण के बाद कम-से-कम पाँच वर्ष तक धारित रहती हैं;

(vi) एकीकरण के बाद स्वीकृत कम्पनी एकीकरण होने वाली कम्पनी का व्यापार कम-से कम पाँच वर्ष तक संचालित करती रहती है;

(vii) एकीकृत कम्पनी ऐसी अन्य निर्धारित शर्तों को भी पूरा करती रहती है जिससे एकीकरण होने वाली कम्पनी का पुनर्जीवन सुनिश्चित किया जा सके कि एकीकरण वास्तव में व्यापारिक उद्देश्यों के लिये किया गया है।

यदि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो शेष अशोधित हानि एवं अशोधित ह्रास की कटौती समामेलित कम्पनी को नहीं दी जायेगी तथा जिस वर्ष उपरोक्त शर्तें भंग की जाती हैं, उस वर्ष के पूर्व गत वर्ष तक जितनी हानि एवं अशोधित ह्रास की कटौती दी जा चुकी है, वह उस गत वर्ष की समामेलित कम्पनी की आय मानकर कर योग्य होगी।

(4) विभक्तीकरण की दशा में एकत्रित हानियों एवं एकत्रित अशोधित ह्रास को आगे ले जाना तथा उसे पूरित करना (Carry forward and set-off of accumulated losses and unab sorbed depreciation in merger) — आयकर अधिनियम की धारा 72A (4) के अनुसार विभक्तीकरण की दशा में विभक्त कम्पनी की एकत्रित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास परिणामी कम्पनी द्वारा आगे ले जायी एवं पूरित की जायेंगी, यदि ऐसी हानियाँ एवं अशोधित ह्रास प्रत्यक्ष रूप से उस उपक्रम से सम्बन्धित हैं जो परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित किया गया है। अ: ऐसी हानियाँ एवं अशोधित ह्रास जो प्रत्यक्ष रूप से उपक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं तथा जिनका हस्तान्तरण परिणामी कम्पनी को किया गया है, तो विभक्त कम्पनी एवं परिणामी कम्पनी में ऐसी हानि एवं ह्रास का विभाजन इस अनुपात में किया जायेगा जिस अनुपात में उपक्रम की

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सम्पत्तियाँ विभक्त में कम्पनी ने रखी हैं एवं परिणामी कम्पनी को हस्तान्तरित की हैं। प्रत्येक कम्पनी अपने-अपने भाग वाली हानि एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जायेंगी तथा पूरित करेंगी।

आयकर अधिनियम की धारा 72A (5) के अनुसार केन्द्रीय सरकार उन दशाओं को अधि सूचित कर सकती है जिनमें यह सुनिश्चित हो सके कि विभक्तीकरण व्यापारिक उद्देश्य हेतु किया गया है।

(5) **एक फर्म या एकल व्यापार की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास जबकि इसका उत्तराधिकार एक कम्पनी द्वारा ले लिया गया है (Accumulated loss and unabsorbed depre ciation in case of succession of a firm or proprietary concern by a company**) आयकर अधिनियम की धारा 72-A(6) के अनुसार यदि किसी व्यापार के पुनर्गठन होने पर किसी फर्म या एकाकी व्यापार का उत्तराधिकार किसी कम्पनी को हस्तान्तरित हो जाता है तथा कम्पनी धारा 47 (xiii) एवं (xiv) की समस्त शर्तों को पूरा करती है तो ऐसी फर्म या एकाकी व्यापार, यथास्थिति की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास उत्तराधिकारी कम्पनी की उस गत वर्ष की संचित हानि या ह्रास मानी जायेंगी जिस गत वर्ष में ऐसा पुनर्गठन किया गया। हानियों एवं ह्रास को पूरित करने एवं उन्हें आगे ले जाने से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे। किन्तु यदि उपरोक्त धारा 47 (xiii) एवं (xiv) की शर्तें बाद में पूरी नहीं की जाती हैं तो उत्तराधिकारी कम्पनी द्वारा किसी भी गत वर्ष में पूरित की गई हानि एवं ह्रास को उस कम्पनी की उस गत वर्ष की कर योग्य आय मान लिया जायेगा जिस गत वर्ष में ऐसी शर्तों को पूरा नहीं किया गया।

(6) **एक निजी कम्पनी अथवा असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की एकत्रित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास जबकि इसका उत्तराधिकार एक सीमित दायित्व साझेदारी ने ले लिया है (Accu mulated loss and unabsorbed depreciation in case of succession of a private company or an unlisted private company by a limited liability partnership)** आयकर अधिनियम की धारा 72A (b)A के अनुसार यदि किसी प्राइवेट कम्पनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी का उत्तराधिकार धारा 47 (xiiib) की शर्तों को पूरा करते हुए सीमित दायित्व साझेदारी ने ले लिया है तो ऐसी पूर्ववर्ती कम्पनी की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास उत्तरा धिकारी सीमित दायित्व साझेदारी के उस गत वर्ष की हानियाँ एवं ह्रास माने जायेंगे जिस गत वर्ष में उत्तराधिकार परिवर्तन हुआ है। हानियों एवं ह्रास को पूरित करने एवं उन्हें आगे ले जाने से सम्बन्धित प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे। यदि उपरोक्त धारा 47 (xiiib) की कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती हैं तो उत्तराधिकारी सीमित दायित्व साझेदारी द्वारा किसी भी गत वर्ष में पूरित की गई हानि एवं ह्रास को

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सीमित दायित्व साझेदारी की उस गत वर्ष की कर योग्य आय मान लिया जायेगा जिस गत वर्ष में ऐसी शर्त को पूरा नहीं किया गया है।

(7) बैंकिंग कम्पनी के एकीकरण की दशा में एकत्रित हानियों एवं अशोधित ह्रास को पूरित करना (Set-off of accumulated loss and unabsorbed depreciation in case of amal gamation of banking company) — आयकर अधिनियम की धारा 72AA के अनुसार यदि बैंकिंग कम्पनी को किसी बैंकिंग संस्था में बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 (7) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गयी योजना के अन्तर्गत एकीकृत किया जाता है तो एकीकरण होने वाली बैंकिंग कम्पनी की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास को बैंकिंग संस्था की उस गत वर्ष की हानि माना जायेगा जिस गत वर्ष में ऐसा एकीकरण हुआ है। इस सम्बन्ध में हानियों की पूर्ति एवं इन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे|

(8) सरकारी बैंकों के व्यापार पुनर्गठन की दशा में एकत्रित हानियों एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जाना एवं पूरित करना (Carry forward and set off of accumulated loss and unabsorbed depreciation in business reorganisation of co-operative banks) आयकर अधिनियम की धारा 72AB के अनुसार यदि दो सहकारी बैंकों का एकीकरण हुआ है तो पूर्ववर्ती सहकारी बैंक की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास उत्तराधिकारी सहकारी बैंक द्वारा आगे ले जाने एवं उनको पूरित करने के लिये इस अधिनियम से सम्बन्धित सभी प्रावधान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर लागू होंगे—

(i) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक तीन या अधिक वर्षों से बैंकिंग के व्यापार में संलग्न रही है तथा संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास इसी अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं।

(ii) पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के स्वामित्व में पुनर्संगठन की तिथि तक लगातार दो वर्षों में स्थायी सम्पत्तियों में से कम से कम तीन-चौथाई पुस्तकीय मूल्य की सम्पत्ति रही थी।

(iii) उत्तराधिकारी सहकारी बैंक के स्वामित्व में पूर्ववर्ती बैंक की व्यापार पुनर्संगठन में प्राप्त की गई स्थायी सम्पत्तियों के पुस्तकीय मूल्य की कम से कम तीन-चौथाई मूल्य की सम्पत्तियाँ पुनर्संगठन की तिथि से लगातार पाँच वर्षों तक रहीं।

(iv) उत्तराधिकारी सहकारी बैंक पूर्ववर्ती सहकारी बैंक के व्यापार को व्यापार पुनर्संगठन की तिथि से कम से कम पाँच वर्षों तक संचालित करती रहती है।

(v) उत्तराधिकारी सहकारी बैंक उन सभी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो निर्धारित की गई हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(9) बन्द कर दिये गए कारोबार की हानियों की पूर्ति (Not set-off of losses of discontinued business or profession)- आयकर अधिनियम की धारा 72(1) (i) के अनुसार, किसी ऐसे व्यापार या पेशे को जिसमें मूल रूप से हानि हुई थी करदाता द्वारा उस गत वर्ष में चालू रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, जिसमें कि अपूरित हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। यदि ऐसा व्यापार अथवा पेशा बन्द कर दिया जाता है, तो इसकी अपूरित हानि को किसी अन्य चालू व्यापार अथवा पेशे के लाभों से की जा सकती है। [धारा 41 (5)]

इसी प्रकार, बन्द व्यापार की अपूरित हानियों की पूर्ति इसके निम्नलिखित माने गये लाभों से भी की जा सकती है-

(i) जहाँ पूर्व में स्वीकृत किसी कटौती की वसूली हो । [धारा 41(1)]

(ii) जहाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये प्रयोग की गई पूँजी सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त माने गये लाभ हों, जोकि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग न की गई हो। [धारा 41(3)]

(iii) जहाँ किसी ऐसे ऋण की वसूली से, जोकि डूबे ऋण के रूप में स्वीकृत कर लिया गया हो, कोई माना गया लाभ प्राप्त होता है। [धारा 41(4)]

(iv) जहाँ पूर्व में उत्पन्न किसी विशेष आरक्षण से निकाले जाने के कारण उत्पन्न माने गये लाभ हों।

[धारा 41 (4A)]

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी बन्द व्यापार की अपूरित हानियों की पूर्ति किसी अन्य व्यापार, लाभ या एक चालू व्यापार या पेशे या किसी बन्द व्यापार अथवा पेशे के माने गये लाभों से की जा सकती है।

(10) सट्टा व्यापार की हानियाँ (Losses of speculation business)– आयकर अधि नियम की धारा 73 (2) के अनुसार, यदि किसी सट्टा व्यापार की हानियों की पूर्ति किसी अन्य सट्टा व्यापार के लाभों से पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो उसे अगले वर्ष में किसी भी सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी करने के लिये आगे ले जायी जा सकती है। इस प्रकार की हानियाँ जब तक पूरी न हों, जिस वर्ष में हुई थीं, उससे अधिक से अधिक आठ वर्ष के लिये आगे ले जायी जा सकती हैं। परन्तु प्रतिबन्धित वस्तुओं के सट्टा व्यापार से होने वाली हानियों की पूर्ति कानूनी सट्टा व्यापार के लाभों से नहीं की जा सकती है। यदि आगे लायी गई

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सट्टे के व्यापार की हानि के साथ चालू वर्ष की गैर-सट्टे व्यापार की हानि भी हो, तो इनकी पूर्ति करने का क्रम निम्न लिखित होगा-

(i) पहले आगे लायी गई सट्टे की हानि को चालू वर्ष के सट्टे के लाभ से पूरा किया जायेगा। तत्पश्चात् चालू वर्ष की गैर-सट्टे की हानि को अन्य साधनों की आयों से पूरा किया जायेगा तथा यदि सट्टे के लाभ का कुछ भाग बचा हो, तो शेष हानि की पूर्ति सट्टे के ऐसे लाभ से की जायेगी; अथवा

(ii) पहले चालू वर्ष की गैर-सट्टे की हानि को चालू वर्ष के सट्टे के लाभ से पूरा किया जायेगा। तत्पश्चात् आगे लायी गई सट्टे की हानियों को चालू वर्ष के सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा किया जायेगा, जो भी करदाता के हित में हो।

(11) विशिष्ट व्यापार की हानियों को आगे ले जाना एवं उनको पूरित करना (Carry for ward and set-off of losses of specified business)– आयकर अधिनियम की धारा 73A के अनुसार यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी विशिष्ट व्यापार की गर्णित सम्पूर्ण हानि पूरी नहीं की जा सकी है क्योंकि करदाता की किसी भी अन्य विशिष्ट व्यापार में कोई भी लाभ या आय नहीं है तो ऐसी अपूरित हानि को आगामी कर निर्धारण वर्ष के विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूरित करने के लिये आगे ले जाया जाता है, तथा—

(i) इस हानि को उस कर निर्धारण वर्ष में करदाता द्वारा संचालित किसी विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूरित किया जाता है; एवं

(ii) यदि इस हानि को पूर्ण रूप से पूरित नहीं किया जा सका है तो ऐसी अपूरित हानि को पुनः आगामी कर निर्धारण वर्ष/वर्षों में करदाता द्वारा संचालित किसी विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूरित करने के लिये आगे ले जाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि विशिष्ट व्यापार की अपूरित हानि को किसी विशिष्ट व्यापार के लाभों से पूर्ण रूप से पूरित न कर दिया जाये।

(12) पूँजी हानियाँ (Capital Losses) — आयकर अधिनियम की धारा 74 के अनुसार, यदि किसी गत वर्ष की 'पूँजी हानि' की पूर्ति उसी गत वर्ष के पूँजी लाभों से नहीं की जा सकती हो जिस वर्ष कि ऐसी हानि प्रथम बार हुई थी, तो ऐसी हानियों को आगे ले जाकर अगले कर निर्धारण- वर्ष के पूँजी लाभों से उनकी पूर्ति की जा सकती है। यदि अगले कर निर्धारण वर्ष में भी आगे ले जाये जाने वाली सम्पूर्ण हानि की पूर्ति

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

पूँजी लाभों से न हो सके तो शेष अशोधित हानि को, जिस वर्ष हानि हुई थी उससे, अधिक-से-अधिक आठ कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है।

(13) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख-रखाव की क्रिया से हानि (Loss from the activity of owning and maintaining race horses) — आयकर अधिनियम की धारा 74A के अनुसार, यदि कोई करदाता घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामी है तथा उनके स्वामित्व एवं रख-रखाव से उसे हानि होती है जिसकी पूर्ति अन्य उसी प्रकार के व्यापार या क्रिया के लाभों से नहीं की जा सकती है, तो ऐसी अपूरित हानि को आगे ले जाकर उसकी पूर्ति आने वाले अगले अधिक-से अधिक चार वर्षों में प्राप्त लाभों से की जा सकती है। इस प्रकार आगे ले जाने वाली हानियों की पूर्ति अगले कर निर्धारण-वर्षों में घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख-रखाव की क्रिया से प्राप्त लाभों से की जा सकती है। परन्तु जिस व्यापार को हानि को इस प्रकार आगे ले जाया गया है, तब तक चालू रहना चाहिए जब तक कि हानियों को आगे ले जाया जाये। जैसे ही व्यापार बन्द कर दिया जाता है, तो इन बन्द व्यापार की हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

(14) फर्म की हानियाँ (Losses of firm) – आयकर अधिनियम की धारा 75 के अनुसार फर्म अपनी व्यापारिक हानियों को अगले आठ वर्षों तक के व्यापारिक लाभों में से पूरा करने के लिये आगे ले जा सकती है। यदि फर्म का अशोधित ह्रास है तो उसे भी अगले वर्षों की किसी भी आय से पूरा करने के लिये फर्म द्वारा आगे ले जाया जा सकता है। अशोधित ह्रास अगले वर्ष के लिये सामान्य ह्रास की तरह माना जाता है तथा उसे फर्म की किसी भी आय से पूरा किया जा सकता है। यदि फर्म की हानि अपने साझेदारों को ब्याज या वेतन आदि देने के कारण उत्पन्न हुई है तो फर्म उस हानि को भी भावी व्यापारिक लाभों से पूरा करने के लिये आठ कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकती है। फर्म की हानियों को आगे ले जाने एवं उनकी पूर्ति करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं-

(i) आय के किसी भी स्रोत की हानियों की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में उसी शीर्षक के अन्य किसी स्रोत की आय से की जा सकती है।

(ii) किसी भी शीर्षक (पूँजी हानि के सिवाय) की हानि की पूर्ति 'पूँजी लाभ' सहित किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iii) यदि 'मकान सम्पत्ति की आय' शीर्षक के अन्तर्गत कोई हानि होती है, तो उस हानि की पूर्ति उसी वर्ष आय के किसी अन्य शीर्षक की आय से की जा सकती है परन्त अपूरित हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

(iv) पूँजी हानियों की पूर्ति केवल पूँजी लाभों से की जा सकती है, परन्तु अपूरित पूँजी • हानियों को आगे आने वाले अधिक-से-अधिक आठ कर निर्धारण वर्षों के लिये आगे ले जाया जा सकता है।

(v) व्यापार हानियों (सट्टे व्यापार की हानि एवं घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख रखाव की क्रिया से हुई हानि के सिवाय) की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष की किसी अन्य आय से की जा सकती है। अपूरित व्यापार हानियों को, जिस वर्ष में हुई थी उससे, अधिक-से-अधिक अगले आठ वर्षों तक पूर्ति के लिये आगे ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि वह व्यापार जिसे कि ऐसी हानि हुई है उस वर्ष में चालू रहना चाहिए।
(vi) सट्टा व्यापार की ऐसी हानियों को जिनकी कि पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में न हो सकी हो, अगले आठ कर निर्धारण वर्ष के लाभों से पूर्ति के लिये आगे ले जाया जा सकता है।
(vii) अशोधित ह्रासों की पूर्ति भी अगले आठ वर्षों में आगे ले जाकर की जा सकती है।
(viii) अशोधित विनियोग छूट की पूर्ति भी अगले आठ कर निर्धारण वर्षों में आगे ले जाकर की जा सकती है।
(ix) फर्म की हानियों की पूर्ति केवल फर्म द्वारा ही फर्म से आगे ले जाकर की जा सकती है। फर्म की हानियों को फर्म में भागीदारों के मध्य नहीं बाँटा जा सकता है।

(15) फर्म के गठन में परिवर्तन की दशा में हानियों को आगे ले जाना (Carry forward of losses in case of change in constitution of firm)—आयकर अधिनियम की धारा 78 (1) के अनुसार, यदि किसी सहभागीदार की मृत्यु अथवा अवकाश प्राप्त करने के कारण गत वर्ष में फर्म के गठन में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो फर्म अवकाश प्राप्त व्यक्ति या मृतक सहभागीदार के उस गत वर्ष में उस फर्म में अंश के लाभ से अधिक हानि की सीमा तक हानि की पूर्ति के लिये उसे आगे ले जाने की हकदार होगी।

(16) फर्म के उत्तराधिकार में परिवर्तन की दशा में हानियों को आगे ले जाना (Carry for wward and set-off of losses in case of change in succession of firm)- आयकर अधिनियम की धारा 78 (2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में (विरासत के अलावा) किसी व्यक्ति के व्यापार अथवा पेशे को प्राप्त करता

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

है, तो उत्तराधिकारी उस फर्म की उन हानियों को आगे ले जाकर उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है जोकि उत्तराधिकार से पूर्व उत्पन्न हुई थीं।

(17) विरासत के आधार पर व्यापार में उत्तराधिकार परिवर्तन की दशा में हानियों को आगे ले GT (Carry forward and set-off of losses in case of change in succession of business by inheritance)– यदि विरासत के आधार पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यापार अथवा पेशे को उत्तराधिकार में प्राप्त करता है, तो उत्तराधिकारी उन हानियों की पूर्ति के लिये उन्हें आगे ले जा सकता है जोकि उत्तराधिकार प्राप्त होने से पूर्व उस उद्यम को हुई थीं।

(18) कुछ कम्पनियों की दशा हानियों को आगे ले जाना एवं उनकी पूर्ति करना (Carry forward and set off of losses in case of certain companies) — आयकर अधिनियम को धारा 79 के अनुसार, यदि किन्हीं गत वर्षों में किसी ऐसी कम्पनी में जिसमें जनता का सारवान् हित निहित नहीं है अंशधारकों में कोई परिवर्तन होता है, तो गत वर्ष से पूर्व कम्पनी को हुई हानियों की उसी वर्ष के लाभ से पूर्ति के लिये आगे नहीं ले जाया जायेगा जब तक कि निम्न लिखित शर्तें पूरी न होती हों

(i) कम्पनी की 51% मताधिकार की शक्ति उन अंशधारियों के हाथ में रहती है जिनके कि पास ऐसे अंश अंशधारियों में परिवर्तन से पूर्व थे। दूसरे शब्दों में, कम्पनी में परिवर्तन के बावजूद बहुमत उन्हीं अंशधारकों का रहना चाहिए जिनका कि ऐसे परिवर्तन से पूर्व भी था।

(ii) यदि अंशधारियों में परिवर्तन किसी अंशधारी की मृत्यु के कारण या किसी अंशधारी द्वारा अपने रिश्तेदार को अंशों का हस्तान्तरण उपहार के रूप में करने के कारण हुआ हो, तो कम्पनी पूर्व वर्षों की हानि को गत वर्ष के दौरान आगे ले जाने एवं उसकी पूर्ति करने की हकदार होगी।

(19) लॉटरी, वर्ग पहेली प्रतियोगिता, जुआ एवं शर्त आदि से सम्बन्धित हानियाँ (Losses relating to lottery, cross-word puzzles, gambling, betting etc.) — लॉटरी, वर्ग पहेली प्रतियोगिता, जुआ एवं शर्त आदि से आय अलग से 40% की दर से कर योग्य है। धारा 58 (4) के अनुसार, इन आयों के सम्बन्ध में कोई भी व्यय

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अथवा कटौती स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार इन स्रोतों से उत्पन्न हानि की पूर्ति इन्हीं के स्रोतों से उत्पन्न अन्य आय से की जा सकती है। इसलिये इन हानियों को आगे ले जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(20) हानि विवरणी का दाखिल करना (Submission of return of losses) – आयकर अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, किसी हानि को न तो आगे ले जाया जा सकता है और न उसकी पूर्ति की जा सकती है जब तक कि निर्धारित अवधि में अथवा बढ़ाई गई अवधि में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गए विवरण के अनुसरण में उसने ऐसा सुनिश्चित न कर दिया हो|

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW